

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

कर्मोंक एल 1-10/579/2019/ब-7/डीएमसी/चार
प्रति,

भोपाल दिनांक 06 जुलाई 2019

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 - बजट आवंटन, व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना तथा चेक्स
/ देयकों के आहरण के संबंध में दिशा-निर्देश ।
संदर्भ :- इस विभाग का कर्मोंक एल 1-10/346/2017/ब-7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक
31/03/2019

000

संदर्भित परिपत्र दिनांक 31/03/2019 की कंडिका 5 में विभागों के लिए लेखानुदान में केन्द्र
क्षेत्र, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं एवं मुक्त श्रेणी के व्ययों (परिपत्र
की कण्डिका 7 (ii)) के लिए प्रावधानित बजट का 80 प्रतिशत जारी किया गया था । विचारोपरांत निर्णय लिया
गया है कि लेखानुदान की समस्त योजनाओं में वेतन मद के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष # 11,12,14,15,16,17,18 एवं
19 के लिए जारी 80 प्रतिशत बजट के अतिरिक्त 20 प्रतिशत बजट (इस प्रकार कुल 80 + 20 = 100 प्रतिशत
बजट) जारी किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(नीरज कुमार सिंह)

संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 06 जुलाई 2019

पृ.कं. एल1-10/580 /2019/ब-7/डीएमसी/चार
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।



(रूपेश कुमार पठार)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग